

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर  
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)-

(Accredited by NAAC with Grade 'A+')

कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

// आदेश //

बिलासपुर, दिनांक : 08/05/2026

क्र. 5036 /स्था./प्रशा./2026 : प्रो. ए. एन. बहादुर, सेवानिवृत्त प्राचार्य शासकीय निरंजन केशरवानी कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय कोटा, बिलासपुर को अस्थाई तौर पर विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग में कार्य की अनुमति प्रदान की जाती है। यह कार्य की अनुमति आदेश जारी तिथि से अष्टि क्तम छः (06) माह अथवा नियमित भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने तक जो भी पहले पूर्ण हो, तक के लिए मान्य होगी। शैक्षणिक कार्य के लिए इन्हें अतिथि व्याख्याता नीति, 2024 के अनुरूप मानदेय प्रदान किया जाएगा।

आदेशानुसार



कुलसचिव

बिलासपुर, दिनांक: 08/05/2026

पृ.क्रमांक 5037/स्था./प्रशा./2026

प्रतिलिपि :-

1. कुलपति जी के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. निदेशक CIQA को सूचनार्थ।
3. वित्ताधिकारी को सूचनार्थ।
4. प्रो. ए. एन. बहादुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. विभागाध्यक्ष, वनस्पति विज्ञान विभाग को सूचनार्थ।
6. कार्यालय प्रति।



प्रभारी

स्थापना/प्रशासन

To,  
Registrar  
Pt Sundar Lal Sharma Open University  
Bilaspur. CG


**Subject:** Consent Letter for Working as Faculty in Department of Botany

Dear Sir,

A per letter No 5036 I, Dr A.N.Bahadur, hereby give my consent for working in your institution  
(Dept of Botany)

Thank you.

Yours sincerely,

  
08.5.26

**Dr A.N.Bahadur (Retired Principal)**



पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर  
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)

(Accredited by NAAC with Grade 'A+')

कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र. 4759 /स्था./प्रशा./2026

बिलासपुर, दिनांक : 02/02/2026

प्रति,

डॉ. अर्चना मिश्रा

पिता – श्री एस.एन. मिश्रा

पता – कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)

विषय:- अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक हेतु आमंत्रण।

संदर्भ:- इस विश्वविद्यालय का विज्ञापन क्र. 07/2025/विज्ञा./स्था./प्रशा. दिनांक 09.12.2025

संदर्भित विज्ञापन के परिप्रेक्ष्य में संपन्न साक्षात्कार के पश्चात् प्रावीण्यता के आधार पर वनस्पति विषय में अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक हेतु निम्नानुसार बिन्दुओं का पालन किये जाने की शर्त पर आपको आमंत्रित किया जाता है।

1. अध्यापन कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व समस्त दस्तावेजों की छायाप्रति और शपथ पत्र (50 रु. के गैर न्यायिक स्टाम्प पर संलग्न प्रारूप में) नोटरीकृत कराकर प्रस्तुत करें। परीक्षण में अभिलेख सही पाए जाने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति निर्धारित शर्तों के अधीन प्रदान की जावेगी।
2. आपके द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र या कोई भी अन्य दस्तावेज फर्जी/गलत पाया जाता है तो किसी भी समय इस आमंत्रण को निरस्त किया जा सकेगा।
3. अतिथि व्याख्याता व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक सत्र में अधिकतम 11 माह हेतु कार्य संपादन की अनुमति प्रदान की जाएगी।
4. आपके कार्यों का छः माह एवं एक शैक्षणिक सत्र का मूल्यांकन किया जायेगा। मूल्यांकन परिणाम असंतोषजनक होने की स्थिति में संबंधित को संसूचित करते हुए आगामी शिक्षा सत्र में कार्य करने की अनुमति हेतु विचार किया जायेगा। मूल्यांकन निरंतर 03 बार संतोषजनक नहीं पाये जाने पर, आगामी सत्र में पुनः आमंत्रित न किया जाकर प्रतीक्षा सूची/विज्ञापन के आधार पर संबंधित विषय में अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक की व्यवस्था की जायेगी।







15.

यदि प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक अथवा सहायक प्राध्यापक के एक ही विषय के विरुद्ध एक से अधिक अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक कार्यरत हैं एवं भविष्य में नियमित नियुक्ति से एक पद भरे जाने की स्थिति में उस विषय में मेरिट लिस्ट में कनिष्ठ अतिथि व्याख्याता की नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी। यदि मेरिट लिस्ट में दो या दो से अधिक कनिष्ठ अतिथि व्याख्याताओं को समान अंक प्राप्त है तो आयु में कनिष्ठतम अतिथि व्याख्याता की नियुक्ति निरस्त मानी जायेगी।

16. कार्य दिवस की गणना आदेश जारी तिथि से की जाएगी

आदेशानुसार




कुलसचिव

पृ.क्रमांक 4760/स्था./प्रशा./2026

बिलासपुर, दिनांक: 02/02/2026

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. वित्ताधिकारी को सूचनार्थ।
3. विभागाध्यक्ष ..... को सूचनार्थ।
4. कार्यालय प्रति।



विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
स्थापना/प्रशासन

प्रति,

कुलसचिव,

पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़

विलासपुर (छ.ग.)


द्वारा :- विभागाध्यक्ष, ..... (नरसिंह शास्त्री) Botany

विषय :- अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक के रूप में कार्य हेतु उपस्थिति विषयक।

संदर्भ :- विश्वविद्यालय का आदेश पत्र क्र. 4759/2011-14911/2026 दिनांक 06/02/2026

महोदय,

विषयानुसार संदर्भित पत्र के परिपालन में मैं अर्चना मिश्रा  
पिता/पति ~~रमेश शंकर मिश्रा~~ विषय ~~नरसिंह शास्त्री~~ में अतिथि  
व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक के रूप में कर्तव्य पर उपस्थित हो गया हूँ/गयी हूँ। विश्वविद्यालय  
के निर्देशानुसार निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र संलग्न है। कृपया मेरी उपस्थिति स्वीकार करने का  
कष्ट करें।

  
हस्ताक्षर 06/02/26  
विभागाध्यक्ष

  
हस्ताक्षर

नाम :- Dr. Aradhana Mishra

विषय :- Botany

पता :- B-7 Ganesh Enclave  
Koni, Bilaspur, C.G.

// घोषणा //

मैं Aradhana Mishra यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई समस्त जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है। यदि भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि पायी जाती है अथवा प्रस्तुत जानकारी असत्य पायी जाती है तो मेरी सेवाएँ समाप्त की जा सकेंगी इसके लिए मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी, तथा मेरे द्वारा विश्वविद्यालय आदेश क्र. 4759/2011-14911/2026 में वर्णित समस्त कंडिकाओं का अक्षर सः पालन किया जावेगा। यदि कंडिकाओं के पालन करने में मैं समर्थ नहीं पाया जाता/जाती हूँ तो विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा मेरे ऊपर अनुशासनात्मक/दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी एवं विश्वविद्यालय से मुझे प्राप्त आमंत्रण आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त की कार्यवाही की जा सकेगी, उसे मानने हेतु मैं बाध्य रहूँगा/रहूँगी।

  
हस्ताक्षर

नाम :- Dr. Aradhana Mishra

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर  
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)

(Accredited by NAAC with Grade 'A+')

कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र. 4765 /स्था./प्रशा./2026

बिलासपुर, दिनांक : 02/02/2026

प्रति,

डॉ. हर्षा उपाध्याय

पति - श्री विकास उपाध्याय


पता - तिफरा, बिलासपुर (छ.ग.)


विषय:- अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक हेतु आमंत्रण।

संदर्भ:- इस विश्वविद्यालय का विज्ञापन क्र. 07/2025/विज्ञा./स्था./प्रशा. दिनांक 09.12.2025

संदर्भित विज्ञापन के परिप्रेक्ष्य में संपन्न साक्षात्कार के पश्चात् प्रावीण्यता के आधार पर रसायन विषय में अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक हेतु निम्नानुसार बिन्दुओं का पालन किये जाने की शर्त पर आपको आमंत्रित किया जाता है।

1. अध्यापन कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व समस्त दस्तावेजों की छायाप्रति और शपथ पत्र (50 रु. के गैर न्यायिक स्टाम्प पर संलग्न प्रारूप में ) नोटरीकृत कराकर प्रस्तुत करें। परीक्षण में अभिलेख सही पाए जाने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति निर्धारित शर्तों के अधीन प्रदान की जावेगी।
2. आपके द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र या कोई भी अन्य दस्तावेज फर्जी/गलत पाया जाता है तो किसी भी समय इस आमंत्रण को निरस्त किया जा सकेगा।
3. अतिथि व्याख्याता व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक सत्र में अधिकतम 11 माह हेतु कार्य संपादन की अनुमति प्रदान की जाएगी।
4. आपके कार्यों का छः माह एवं एक शैक्षणिक सत्र का मूल्यांकन किया जायेगा। मूल्यांकन परिणाम असंतोषजनक होने की स्थिति में संबंधित को संसूचित करते हुए आगामी शिक्षा सत्र में कार्य करने की अनुमति हेतु विचार किया जायेगा। मूल्यांकन निरंतर 03 बार संतोषजनक नहीं पाये जाने पर, आगामी सत्र में पुनः आमंत्रित न किया जाकर प्रतीक्षा सूची/विज्ञापन के आधार पर संबंधित विषय में अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक की व्यवस्था की जायेगी।





15. यदि प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक अथवा सहायक प्राध्यापक के एक ही विषय के विरुद्ध एक से अधिक अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक कार्यरत हैं एवं भविष्य में नियमित नियुक्ति से एक पद भरे जाने की स्थिति में उस विषय में मेरिट लिस्ट में कनिष्ठ अतिथि व्याख्याता की नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी। यदि मेरिट लिस्ट में दो या दो से अधिक कनिष्ठ अतिथि व्याख्याताओं को समान अंक प्राप्त है तो आयु में कनिष्ठतम अतिथि व्याख्याता की नियुक्ति निरस्त मानी जायेगी।
16. कार्य दिवस की गणना आदेश जारी तिथि से की जाएगी

आदेशानुसार




कुलसचिव

पृ.क्रमांक 4766/स्था./प्रशा./2026

बिलासपुर, दिनांक: 02/02/2026

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. वित्ताधिकारी को सूचनार्थ।
3. विभागाध्यक्ष ..... को सूचनार्थ।
4. कार्यालय प्रति।



विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
स्थापना/प्रशासन

प्रति,

कुलसचिव,

पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़  
बिलासपुर (छ.ग.)


द्वारा :- विभागाध्यक्ष, रसायन शास्त्र

विषय :- अतिथि व्याख्याता / ~~अतिथि शिक्षण सहायक~~ के रूप में कार्य हेतु उपस्थिति विषयक।

संदर्भ :- विश्वविद्यालय का आदेश पत्र क्र. 4765/स्वा./प्रशा. दिनांक 02/02/2026

महोदय,

विषयानुसार संदर्भित पत्र के परिपालन में मैं डॉ. हर्षा उपाध्याय  
पिता/पति विकास उपाध्याय विषय रसायन में अतिथि  
व्याख्याता / ~~अतिथि शिक्षण सहायक~~ के रूप में कर्तव्य पर उपस्थित हो मन्म-हूँ/गयी हूँ। विश्वविद्यालय  
के निर्देशानुसार निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र संलग्न है। कृपया मेरी उपस्थिति स्वीकार करने का  
कष्ट करें।

  
हस्ताक्षर  
विभागाध्यक्ष  
Dr. Dhananjay Mishra  
Professor of Zoology  
PSSOU

Harsha  
हस्ताक्षर  
नाम :- डॉ. हर्षा उपाध्याय  
विषय :- रसायन  
पता :- रामावर्स C-19 तिकरा  
बिलासपुर C.G.

// घोषणा //

मैं डॉ. हर्षा उपाध्याय यह घोषणा ~~करती~~/करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत की  
गई समस्त जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है। यदि भविष्य में किसी  
प्रकार की त्रुटि पायी जाती है अथवा प्रस्तुत जानकारी असत्य पायी जाती है तो मेरी सेवाएँ समाप्त  
की जा सकेंगी इसके लिए मैं स्वयं उत्तरदायी ~~रहूँगी~~/रहूँगी, तथा मेरे द्वारा विश्वविद्यालय  
आदेश क्र. 4765/स्वा./प्रशा. में वर्णित समस्त कंडिकाओं का अक्षर सः  
पालन किया जावेगा। यदि कंडिकाओं के पालन करने में मैं समर्थ नहीं पाया ~~जाती~~/जाती हूँ तो  
विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा मेरे ऊपर अनुशासनात्मक/दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी एवं  
विश्वविद्यालय से मुझे प्राप्त आमंत्रण आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त की कार्यवाही की जा  
सकेगी, उसे मानने हेतु मैं बाध्य ~~रहूँगी~~/रहूँगी।

Harsha  
हस्ताक्षर  
नाम :- डॉ. हर्षा उपाध्याय